

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

क्रमांक सामान्य/II/ 03 /2021

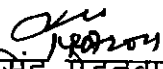
दिनांक.....14.../07/2021

आदेश

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 9 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान उच्च न्यायालय, राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प. 1 (1) न्याय/2021 दिनांक 8.7.2021 द्वारा निम्नलिखित नवसृजित अपर जिला न्यायाधीश न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उनके नाम के आगे अंकित सेशन न्यायालयों की अधिकारिता का प्रयोग करने हेतु एतद् द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश नियुक्त करता है:-

क्र. सं.	न्यायालय का नाम	सेशन न्यायालय का नाम	बैठक का स्थान
1	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, कुचामनसिटी	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता	कुचामनसिटी
2	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, लाडनू	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मेड़ता	लाडनू
3	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, निवाई	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, टोंक	निवाई
4	अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, बस्सी	जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम	बस्सी

आदेशानुसार,

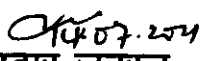

(निर्मलसिंह मेड़तवाल)

रजिस्ट्रार जनरल,
राजस्थान उच्च न्यायालय,
जोधपुर।

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।

क्रमांक - सामान्य/II/09/2021/1426 दिनांक14.../07/2021
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, जयपुर।
2. समस्त रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
3. संबंधित जिला एवं सेशन न्यायाधीश।
4. संबंधित न्यायालय।
5. संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट।
6. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।


रजिस्ट्रार जनरल